परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: प्रस्तर-1.1 व 1.1.1; पृष्ठ 1, 2)

राज्य की रूपरेखा

क्र. सं.	विवरण		आँकड़े
1.	**क्षेत्रफल**		53,483 वर्ग किमी
	क. पर्वतीय		46,035 वर्ग किमी
	ख. मैदान		7,448 वर्ग किमी
	ग. वनीय		38,117 वर्ग किमी
2.	जनपद (10 पर्वतीय क्षेत्र तथा 3 मैदानी क्षेत्र)		13 जनपद
3.	**जनसंख्या**		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	100.86 लाख
4.	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व =324 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी)	159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
5.	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत=21.92 *प्रतिशत*)		11.26 *प्रतिशत*
6.	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=64.80 *प्रतिशत*)	71.62 *प्रतिशत*
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=73.00 *प्रतिशत*)	78.80 *प्रतिशत*
7.	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत=28 प्रति 1,000 जीवित जन्म)		24
8.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=70.00)		70.60
9.	एच डी आई मूल्य उत्तराखण्ड (एच डी आर 2021) (अखिल भारतीय औसत=0.633)		0.72
10.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) 2022-23 प्रचलित दरों पर *(₹ करोड़ में)*		3,02,621
11.	प्रति व्यक्ति स रा घ उ सी ए जी आर (2012-22)	उत्तराखण्ड	*6.93*
	प्रति व्यक्ति स घ उ सी ए जी आर (2012-22)	अखिल भारतीय	*9.12*
12.	स रा घ उ सी ए जी आर (2012-22) प्रचलित दरों पर	उत्तराखण्ड	*8.18*
	स घ उ सी ए जी आर (2012-22) प्रचलित दरों पर	अखिल भारतीय	*10.34*
13.	जनसंख्या वृद्धि (2012 से 2022)	उत्तराखण्ड	*12.39*
		अखिल भारतीय	*11.68*

*** स्रोतः अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखंड, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर एस. एफ. ए. आर. संकलन।**

परिशिष्ट -1.2

(संदर्भ: प्रस्तर-1.3.2, पृष्ठ 11)

31 मार्च 2023 तक उत्तराखंड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्व	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक
आंतरिक ऋण	**53,759.16**	**53,558.43**
ब्याज वाले बाजार ऋण	43,460.00	44,910.00
बाजार ऋण जिन पर ब्याज नहीं है	0.03	0,02
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1.50	1.50
अन्य संस्थानों से ऋण	10,297.63	8,646.91
भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	--	--
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	**7,443.32**	**8,600.36**
आयोजनेत्तर ऋण	2.23	1.80
राज्य योजना योजनाओं के लिए ऋण	428.72	377.36
पूर्व 1984-85 ऋण	0.53	0.53
राज्य के लिए अन्य ऋण	7,011.84	8,220.67
आकस्मिकता निधि (कोष)	**500.00**	**500.00**
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि।	**9,330.63**	**9,453.58**
जमा	**3,536.19**	**3,880.66**
आरक्षित निधियाँ	**4,653.02**	**4,824.64**
उचंत और विविध अवशेष	**--**	**--**
प्रेषण शेष राशि	**--**	**--**
व्यय पर प्राप्तियों की संचयी अधिकता	**--**	**3,890.97**
योग	***79,222.32***	***84,708.64***
संपत्ति		
स्थिर परिसंपत्तियों पर सकल पूंजी परिव्यय -	**71,858.97**	**80,053.48**
कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	3,818.94	4,043.90
अन्य पूँजीगत व्यय	68,040.03	76,009.58
आकस्मिकता निधि (गैर-प्रतिपूर्ति)	**268.66**	**178.50**
ऋण और अग्रिम -	**2,378.28**	**2,454.61**
विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	498.98	484.58
अन्य विकास ऋण	1,896.48	1,986.69
सरकारी कर्मचारियों को ऋण और विविध ऋण	(-)17.18	(-)16.66
विभागीय अधिकारियों के साथ अग्रिम	**0.42**	**0.42**
प्रेषण शेष राशि	**(-)71.01**	**(-)88.23**
नकद	**3,837.18**	**2,318.65**

दायित्व	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक
कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में नकद	--	--
विभागीय नकद शेष	(-)10.71	(-)10.71
स्थायी अग्रिम/नकद प्रभाव	(-)0.81	(-)0.81
नकद शेष निवेश	2037.62	653.37
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	112.46	(-)131.82
चिह्नित कोषों से निवेश	1,698.62	1,808.62
उचंत और विविध अवशेष	**(-)481.01**	**(-)208.79**
प्राप्तियों पर खर्च की संचयी अधिकता	**1,430.83**	**--**
योग	***79,222.32***	***84,708.64***

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर-2.3.3 एवं 2.6; पृष्ठ 31 एवं 44)

राज्य सरकार के वित्त पर समय शृंखला आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भाग अ. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**31,216**	**30,723**	**38,205**	**43,057**	**49,083**
(i) कर राजस्व	**12,188** ***(39)***	**11,513** ***(37)***	**11,938** ***(31)***	**14,176 (33)**	**17,102(35)**
एस जी एस टी	4,802 *(39)*	4,931 ***(43)***	5,053 *(42)*	5,973 *(42)*	7,341(43)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,883 *(15)*	1,811 *(16)*	1,858 *(16)*	2,302 (16)	2,555(15)
राज्य आबकारी	2,871 *(24)*	2,727 *(24)*	2,966 *(25)*	3,258 (23)	3,526(21)
वाहनों पर कर	909 *(8)*	908 *(8)*	741 *(6)*	889 (6)	1,211(7)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	1,015 *(8)*	1,072 *(9)*	1,107 *(9)*	1,488 (10)	1,987(12)
भू-राजस्व	34 *(--)*	24 *(--)*	17 *(0)*	40 (0)	65(0)
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	00 *(0)*	00 (0)	00(0)
अन्य	674 *(6)*	40 *(--)*	196 *(2)*	226 (2)	417(2)
(ii) करेत्तर राजस्व	**3,310** ***(10)***	**3,999** ***(13)***	**4,171 (*11)***	**2,756 (6)**	**4,367(9)**
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	**8,011** ***(26)***	**6,902** ***(22)***	**6,569** ***(17)***	**9,906 (23)**	**10,617(22)**
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	**7,707** ***(25)***	**8,309** ***(27)***	**15,527** ***(41)***	**16,219 (38)**	**16,997(35)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**0.01**	**--**	**0.20**	**--**	**11.83**
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	**27**	**19**	**23**	**17**	**17**
4. कुल राजस्व एवं ऋणेत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**31,243**	**30,742**	**38,228**	**43,074**	**49,112**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**7,275**	**6,148**	**9,787**	**4,140**	**5,036**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	7,170 (*99*)	5,765 (*94*)	6,728 *(69)*	3,787 (51)	3,817(76)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	313 (*05*)	--	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	105 *(1)*	70 *(01)*	3,059 *(31)*	3,686 (49)	1,219(24)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**38,518**	**36,890**	**48,015**	**47,214**	**54,148**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**217**	**94**	**02**	**436**	**269**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**41,790**	**45,330**	**47,563**	**52,779**	**59,433**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	***80,525***	***82,314***	***95,580***	***1,03,762***	***1,13,850***
भाग ब. व्यय/संवितरण[1]					
10. राजस्व व्यय	**32,196**	**32,859**	**37,091**	**38,929**	**43,773**
आयोजनागत — राज्य निधि व्यय	28,296 *(88)*	28,893 *(88)*	32,678 *(88)*	35,870 (92)	39,452(90)
आयोजनेत्तर — केंद्रीय सहायता	3,900 *(12)*	3,966 *(12)*	4,413 *(12)*	3,059 (8)	4,321(10)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)	13,525 *(42)*	13,844 *(42)*	14,826 *(40)*	15,668 (40)	16,889(39)
सामाजिक सेवाएँ	12,209 *(38)*	12,593 *(39)*	14,762 *(40)*	15,573 (40)	18,156(41)
आर्थिक सेवाएँ	5,003 *(16)*	4,704 *(14)*	5,571 *(15)*	6,148 (16)	6,687(15)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,459 *(4)*	1,717 *(5)*	1,932 *(5)*	1,540 (4)	2,041(5)

[1] वित्त पोषण का आयोजनागत और आयोजनेत्तर विभाजन, वर्ष 2017-18 से बंद कर दिया गया है और राज्य निधि व्यय और केंद्रीय सहायता में द्विविभाजित किया जा रहा है।

		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
11. पूँजीगत व्यय		**6,184**	**5,414**	**6,538**	**7,534**	**8,194**
आयोजनागत	राज्य निधि व्यय	3,533 (*57*)	3,055 (*56*)	3,192 *(49)*	4,335 *(58)*	*4,398(54)*
आयोजनेत्तर	केंद्रीय सहायता	2,651 (*43*)	2,359 (*44*)	3,346 *(51)*	3,199 (42)	3,797(46)
सामान्य सेवाएँ		454 (*7*)	362 (*7*)	755 *(11)*	1,085 (14)	1,608(20)
सामाजिक सेवाएँ		1,099 (*18*)	1,610 (*30*)	1,938 *(30)*	2,262 (30)	2,013(24)
आर्थिक सेवाएँ		4,631 (*75*)	3,442 (*63*)	3,845 *(59)*	4,187 (56)	4,573(56)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण		**183**	**126**	**38**	**347**	**94**
13. राज्य का कुल व्यय (10+11+12)		**38,563**	**38,399**	**43,667**	**46,810**	**52,061**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान		**2,057**	**2,131**	**2,921**	**3,386**	**4,079**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)		2,013	2,084	2,550	3,330	4,017
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन		--	--	313	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम		44	47	58	56	62
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)		**40,620**	**40,530**	**46,588**	**50,196**	**56,140**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण		**107**	**26**	**226**	**212**	**179**
18. लोक लेखा संवितरण		**39,947**	**42,569**	**47,261**	**53,304**	**59,159**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)		***80,674***	***83,125***	***94,075***	***1,03,712***	***1,15,478***
भाग स. घाटा/आधिक्य						
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)		**(-) 980**	**(-) 2,136**	**(+) 1,114**	**(+) 4,128**	**(+) 5,310**
21. राजकोषीय घाटा (4-13)		**7,320**	**7,657**	**5,439**	**3,736**	**2,949**
22. प्राथमिक घाटा (-)/ प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)		**(-) 2,845**	**(-) 3,153**	**(-) 666**	**1,203**	**2,155**
भाग द. अन्य आँकड़े						
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)		**4,475**	**4,504**	**4,773**	**4,939**	**5,104**
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता		**4,466**	**4,800**	**6,441**	**5,858**	**7,631**
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिवस)		**167**	**140**	**96**	**6**	**39**
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज		**6.08**	**5.18**	**5.21**	**0.06**	**2.23**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)[@]		**2,30,314**	**2,39,247**	**2,36,860**	**2,72,159**	**3,02,621**
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अन्त में)		**58,039**	**65,982**	**73,751**	**77,024**	**78,509**
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज रहित)		**1,311**	**854**	**729**	**374**	**117**
30. प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि (वर्ष के अन्त में)		**2,105**	**उपलब्ध नहीं**	**उपलब्ध नहीं**	**उपलब्ध नहीं**	**407**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)		**202**	**210**	**143**	**75**	**143**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी *(₹ करोड़ में)*		**480.30**	**627.08**	**437.61**	**357.00**	**564.00**
भाग य. राजकोषीय सुदृढ़ता-सूचक (अनुपात में)						
I संसाधन का जुटाव						
स्वयं का कर राजस्व/स रा घ उ		**0.053**	**0.048**	**0.053**	**0.053**	**0.057**
स्वयं का करेत्तर राजस्व/स रा घ उ		**0.014**	**0.017**	**0.018**	**0.010**	**0.014**
केन्द्रीय अन्तरण/स रा घ उ		**0.068**	**0.064**	**0.098**	**0.097**	**0.091**
II व्यय प्रबन्धन						
कुल व्यय/स रा घ उ		**0.167**	**0.160**	**0.193**	**0.174**	**0.172**
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ		**1.24**	**1.25**	**1.14**	**1.09**	**1.06**
राजस्व व्यय/ कुल व्यय		**0.83**	**0.86**	**0.85**	**0.83**	**0.84**
***नोटः बदला हुआ प्रपत्र**						

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.35	0.37	0.38	0.38	0.39
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.25	0.21	0.22	0.22	0.22
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.16	0.14	0.15	0.16	0.16
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.15	0.13	0.13	0.14	0.13
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स रा घ उ	(-) 0.004	(-) 0.009	(+) 0.005	(+) 0.015	(+) 0.018
राजकोषीय घाटा /स रा घ उ	(-) 0.032	(-) 0.032	(-) 0.024	(-) 0.014	(-) 0.010
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स रा घ उ	(-) 0.012	(-) 0.013	(-) 0.003	(+) 0.004	(+) 0.007
राजस्व आधिक्य (घाटा)/राजकोषीय घाटा	(+) 0.134	(+) 0.279	(-) 0.205	(-) 1.105	(-) 1.801
निवल प्राथमिक राजस्व शेष/स रा घ उ	(-) 0.023	(-) 0.028	(-) 0.016	(-) 0.002	0.003
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/स रा घ उ	0.25	0.28	0.33	0.29	0.26
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	1.86	2.15	1.93	1.79	1.60
ऋण पुनर्भुगतान से ऋण प्राप्तियाँ (*प्रतिशत* में)	28.27	34.66	29.85	45.31	81.00
V अन्य राजकोषीय सुदृढ़ता सूचक					
निवेश का प्रतिफल	18.69	14.08	40.02	35.05	25.07
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/दायित्व	0.93	0.90	0.93	0.98	1.05

कोष्ठकों के आँकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

@ आर्थिक विभाग, नि एवं म ले प के रा वि ले प्र संकलन से वर्तमान कीमतों पर स रा घ उ के आँकड़े प्राप्त किये गये हैं।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर-3.1; पृष्ठ 91)

बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

क्र. सं.	शब्द	व्याख्या
1.	एक वर्ष का 'लेखा' या 'वास्तविक'	1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की मात्रा, अंत में लेखा प्राधिकरण की पुस्तकों में दर्ज की गई (जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित है)। अंनतिम लेखों से तात्पर्य अलेखापरीक्षित लेखों से है।
2.	किसी योजना, प्रस्ताव या कार्य की 'प्रशासनिक स्वीकृति'	व्यय के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक स्वीकृति। बजट में निधि के प्रावधान के साथ, यह उस विशेष वर्ष के दौरान कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।
3.	वार्षिक वित्तीय विवरण	बजट के रूप में संदर्भित का अर्थ है संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी गई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण।
4.	विनियोजन	संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि के अलग-अलग प्राथमिक इकाई के तहत व्यय के लिए प्राधिकृत राशियाँ उसमें से एक हिस्सा, जो संवितरण अधिकारी के निपटान में रखा जाता है।
5.	भारित व्यय	ऐसा व्यय जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमंडल के वोट के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाना है।
6.	भारत/राज्य की समेकित निधि	संघ/राज्य सरकार के सभी राजस्व, इसके द्वारा जुटाए गए ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन भारत और राज्य के समेकित निधि का निर्माण करते हैं। इस निधि से निकले किसी भी धन को कानून के अनुसार और संविधान में प्रदान किए गए तरीके के अलावा विनियोजित नहीं किया जा सकता है।
7.	आकस्मिकता निधि	यह एक अग्रदाय की प्रकृति का है। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अपने प्राधिकरण को लंबित, एक वर्ष के दौरान होने वाले अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कार्यकारी/सरकार को अग्रिम प्रदान करना है। संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अनुपूरक मांगों के माध्यम से अनुमोदित करने के बाद, आकस्मिकता निधि से निकाली गई राशि को वापस ले लिया जाता है।
8.	नियंत्रक अधिकारी (बजट)	एक अधिकारी जिसे विभाग द्वारा व्यय और/या राजस्व के संग्रह को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इस शब्दावली में विभागाध्यक्ष और प्रशासक भी शामिल हैं।
9.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	राज्य सरकार की ओर से देयको के आहरण एवं भुगतान करने हेतु कार्यालय प्रमुख और अन्य अधिकारी भी जो कि राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा नामित किया गया है। इस शब्द में एक विभागाध्यक्ष भी शामिल हो सकता है जहाँ वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है।
10.	अतिरिक्त अनुदान	अतिरिक्त अनुदान का अर्थ है, मूल/पूरक अनुदान के माध्यम से अनुमति दिए गए प्रावधान के ऊपर और उसके बाद व्यय की मात्रा, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के तहत संसद/राज्य विधानमंडल से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके नियमितीकरण की आवश्यकता है।
11.	लोक लेखे	संविधान के अनुच्छेद 266 (2) में उल्लिखित लोक लेखा से अर्थ है। जमा और संवितरण जैसे जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण, आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं बनती हैं, लोक लेखे में शामिल हैं। लोक लेखे से संवितरण संसद/ राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं, क्योंकि वे भारत/राज्य के समेकित निधि से जारी किए गए धन नहीं हैं।
12.	पुनर्विनियोजन	एक ही अनुदान या भारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विनियोग की एक ईकाई में हुई बचत को दूसरी ईकाई के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय हेतु हस्तान्तरित करना।

क्र. सं.	शब्द	व्याख्या
13.	पुनरीक्षित अनुमान	एक वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का एक अनुमान, जो उस वर्ष के लिए तैयार किया गया है, जिसमें शेष वर्ष के लिए प्रत्याशित पहले से दर्ज किए गए लेन-देन और पहले से ही जारी किए गए आदेश।
14.	अनुदान के लिए अनुपूरक माँग	विधायिका के समक्ष रखी गई अनुपूरक माँगों के विवरण का अर्थ है, उस वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय से अधिक और एक वित्तीय वर्ष के संबंध में आवश्यक व्यय की अनुमानित राशि दिखाना। अनुपूरक की माँग टोकन, तकनीकी या मूल/नकदी हो सकती है।
15.	मुख्य शीर्ष	राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों को रिकॉर्ड करने और वर्गीकृत करने के उद्देश्य के लिए एक मुख्य शीर्ष है। एक मुख्य शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के भीतर आने वाला, आमतौर पर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के एक 'कार्य' से मेल रखता है।
16.	उप-मुख्य शीर्ष	एक मुख्य शीर्ष और उसके अधीन लघु शीर्षों के बीच शुरू किए गए लेखों का एक मध्यवर्ती शीर्ष है, जब लघु शीर्ष कई है और ऐसे मध्यवर्ती शीर्ष के तहत आसानी से एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है।
17.	लघु शीर्ष	लघु शीर्ष से तात्पर्य एक मुख्य शीर्ष या उप-मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक लघु शीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा दर्शाए गए कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए एक "प्रोग्राम" को दर्शाता है।
18.	उप-शीर्ष	मतलब लघु शीर्ष के अधीनस्थ लेखा की एक इकाई, जो सामान्य रूप से उस लघु शीर्ष या प्रोग्राम के तहत स्कीम या संगठन को दर्शाता है।
19.	मुख्य निर्माण	मुख्य निर्माण से तात्पर्य उस मूल निर्माण से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों को छोड़कर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक है।
20.	लघु निर्माण	लघु निर्माण से तात्पर्य उस मूल निर्माण से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों को छोड़कर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होती है।
21.	संशोधित अनुदान या विनियोजन	इसका मतलब विनियोग के किसी भी उप-शीर्ष को आवंटित धनराशि से है क्योंकि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुन:विनियोग या एक अतिरिक्त या पूरक अनुदान की मंजूरी के बाद आता है।
22.	अनुपूरक एवं अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन	इसका अर्थ है कि उस वर्ष के लिए पहले विनियोग अधिनियम में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग अधिनियम में शामिल एक प्रावधान।
23.	नए व्यय के लिए अनुसूची	का अर्थ है आगामी वर्ष के लिए बजट में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित नए व्यय की वस्तुओं का विवरण।

परिशिष्ट-5.1

(संदर्भित: प्रस्तर-5.3 पृष्ठ 168)

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	टिप्पणी
रा सा क्षे उ के विद्युत क्षेत्र		
1.	उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
2.	पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड	कार्यरत
3.	यू जे वी एन लिमिटेड	कार्यरत
4.	किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
रा सा क्षे उ के अन्य क्षेत्र		
5.	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
6.	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
7.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
8.	स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड	कार्यरत
9.	ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड	कार्यरत
10.	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल अर्बन ,इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
11.	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यरत
12.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	कार्यरत
13.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	कार्यरत
14.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	कार्यरत
15.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	कार्यरत
16.	उत्तराखण्ड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
17.	उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
18.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	कार्यरत
19.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	कार्यरत
20.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	कार्यरत
21.	उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम	कार्यरत
22.	इको टूरिज्म-डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड	कार्यरत
23.	एन आई सी डी सी उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड	कार्यरत
24.	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	कार्यरत
25.	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कु॰म॰वि॰नि॰ लिमिटेड की सहायक)	निष्क्रिय
26.	कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कु म वि नि लिमिटेड की सहायक)	निष्क्रिय

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	टिप्पणी
27.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (ग म वि नि लिमिटेड की सहायक)	निष्क्रिय - परिसमापन के अधीन
28.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (हिल्ट्रॉन)	निष्क्रिय - परिसमापन के अधीन
29.	कुम्ट्रॉन लिमिटेड (हिल्ट्रॉन की सहायक)	निष्क्रिय - परिसमापन के अधीन
30.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (हिल्ट्रॉन की सहायक)	निष्क्रिय - परिसमापन के अधीन
31.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज़ लिमिटेड (हिल्ट्रॉन की सहायक)	निष्क्रिय - परिसमापन के अधीन
32.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कु म वि नि लिमिटेड की सहायक)	निष्क्रिय - परिसमापन के अधीन
33.	यू पी ए आई	निष्क्रिय - परिसमापन के अधीन

परिशिष्ट-5.2

(संदर्भित: प्रस्तर-5.3 पृष्ठ 168)

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की सारांशित वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणाम, जिनके लेखे 30 सितंबर 2023 तक पूर्ण कर लिए गए थे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	रा सा क्षे उ के नाम	लेखे की अवधि	प्रदत्त पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभहानि/	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभहानि/	वित्तीय लागत	टर्न ओवर	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभहानि/
अ	**रा.सा.क्षे.उ. के विद्युत क्षेत्र**										
1	उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2022-23	1529.91	1243.02	-1050.42	-1223.64	150.37	8554.30	-2515.14	-3758.16	-5288.07
2	पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2022-23	723.88	1074.63	109.31	17.12	82.31	372.68	2140.18	1065.55	341.67
3	यू जे वी एन लिमिटेड	2022-23	1396.50	2113.85	274.28	117.76	147.52	1009.51	4840.62	2726.77	1330.27
4	किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड	2021-22	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	विद्युत क्षेत्र का योग (अ)		**3660.29**	**4431.50**	**-666.83**	**-1088.76**	**380.20**	**9936.49**	**4475.66**	**44.16**	**-3616.13**
ब	**रा.सा.क्षे.उ. के अन्य क्षेत्र**										
5	ब्रिजटनल ,रोपवे , एण्ड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2020-21	4.00	0.00	6.28	4.52	0.00	107.72	19.57	19.57	15.57
6	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	6.00	131.14	5.33	-16.59	21.92	99.92	-304.51	-435.65	-441.65
7	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	17.99	119.32	38.61	20.26	18.35	207.40	-157.09	-276.41	-294.40
8	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	1.00	0.00	9.76	9.76	0.00	499.51	78.72	78.72	77.72
9	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल अर्बन ,इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	2022-23	0.10	0.00	-0.06	-0.06	0.00	0.00	-3.06	-3.06	-3.16
10	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
11	उत्तराखण्ड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	2021-22	1.07	0.00	0.18	0.16	0.00	11.53	1.50	1.50	0.43
12	उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2020-21	4.08	10.00	4.98	2.57	1.85	33.15	-10.76	-20.76	-24.84
13	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लि.	2005-06	13.42	0.43	0.91	-1.51	1.21	100.49	13.18	12.75	-0.67

क्र.सं.	रा सा क्षे उ के नाम	लेखे की अवधि	प्रदत्त पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभहानि/	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभहानि/	वित्तीय लागत	टर्न ओवर	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभहानि/
14	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि.	2016-17	6.64	9.79	-7.64	-7.93	0.29	192.36	29.24	19.45	12.81
15	स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2017-18	28.50	196.15	20.65	5.91	6.95	16.77	622.88	426.73	398.23
16	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2010-11	15.29	1.63	1.11	0.92	0.10	1.13	21.37	19.74	4.45
17	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	2008-09	2.65	10.90	1.01	0.89	0.12	0.34	14.68	3.78	1.13
18	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2019-20	238.60	30.54	-3.87	-3.87	0.00	369.70	-262.58	-293.12	-531.72
19	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	0.00	75.47	-10.95	-19.30	8.35	152.00	-232.09	-307.56	-307.56
20	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2020-21	0.00	0.00	48.65	48.65	0.00	705.12	507.99	507.99	507.99
21	उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम	2018-19	0.37	0.00	5.81	3.68	0.00	16.26	26.64	26.64	26.27
22	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (लेखे प्राप्त नहीं)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	इको-टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड (लेखे प्राप्त नहीं)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	एन आई सी डी सी उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड (लेखे प्राप्त नहीं)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य क्षेत्र का योग (ब)		***340.11***	***585.37***	***120.76***	***48.06***	***59.14***	***2513.40***	***366.08***	***-219.29***	***-559.40***
	कुल योग (ब+अ)		***4000.40***	***5016.87***	***-546.07***	***-1040.70***	***439.34***	***12449.89***	***4841.74***	***-175.13***	***-4175.53***

परिशिष्ट-5.3

(संदर्भित: प्रस्तर-5.7.3, पृष्ठ 175)

2000-01 से 2022-23 की अवधि के दौरान रा सा क्षे उ में राज्य सरकार की निधियों के संचार को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	1		2		3		4		5		6		7		8	
वर्ष	उ.पा.का.लि.		पिटकुल		यू जे वी एन लिमिटेड		किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड		उ.प्रो.डे.कं.का.लि.		किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड		डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड		ब्रिडकुल	
	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ.	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ.	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ.	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ.	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ.	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ.	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ.	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ.
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	29.30	0.00	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	13.86	0.00	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	22.56	0.00	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	38.95	0.00	190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	19.70	0.00	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
2009-10	572.00	0.00	49.81	0.00	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00
2010-11	0.00	0.00	15.12	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	38.11	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2012-13	391.91	0.00	56.33	0.00	68.11	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	39.99	0.00	16.60	0.00	202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	68.00	0.00	95.15	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	161.13	0.00	25.56	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	46.00	0.00	37.00	0.00	47.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	22.00	0.00	15.83	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018-19	122.88	0.00	47.00	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-20	16.00	0.00	44.00	0.00	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-21	30.00	0.00	70.00	0.00	42.59	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021-22	15.00	0.00	20.00	0.00	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-23	40.00	0.00	69.00	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	***1529.91***	***0.00***	***723.88***	***0.00***	***1396.50***	***0.00***	***5.00***	***0.00***	***1.07***	***0.00***	***17.54***	***8.75***	***6.00***	***0.00***	***4.00***	***0.00***

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना

क्र.सं.	9		10		11		12		13		14		15		16	
वर्ष	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड		उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर लि		देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड		उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.		कुमाऊं मण्डल विकास निगम लि.		गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि.		सिडकुल		उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	
	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	16.00	0.00	1.10	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	1.68	0.00
2004-05	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.10	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00
2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	*1.00*	*0.00*	*0.10*	*0.00*	*0.20*	*0.00*	*1.20*	*0.00*	*13.42*	*16.08*	*6.64*	*0.00*	*26.00*	*0.00*	*17.46*	*0.00*

क्र.सं.	17		18		19		20		21				
वर्ष	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम		इको-टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड		उत्तराखण्ड परिवहन निगम		उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम		उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम		योग		कुल योग
	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.75	0.00	37.75
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	18.20
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30	3.72	22.02
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68	0.00	14.68
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.37	0.00	195.37
2005-06	1.50	0.00	0.00	0.00	20.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	263.90	9.72	273.62
2006-07	0.15	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.35	-0.25	144.10
2007-08	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	232.42	23.42	255.84
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.58	5.49	79.07
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.83	0.00	697.83
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78	0.00	31.78
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	100.52	144.52
2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.41	25.00	543.41
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.91	10.00	269.91
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	158.86	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.82	1.00	331.82
2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.94	8.00	216.94
2016-17	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	130.10	0.00	130.10
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.15	0.00	53.15
2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	194.03
2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.34	0.00	133.34
2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.58	0.00	147.58
2021-22	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.81	0.00	107.81
2022-23	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.27	0.00	133.27
योग	***10.00***	***0.00***	***0.05***	***0.00***	***229.36***	***161.79***	***0.19***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***3989.52***	***186.62***	***4176.14***

परिशिष्ट-5.4

(संदर्भित: प्रस्तर - 5.8.2, पृष्ठ 177)

अंतिम खातों के अनुसार रा सा क्षे उ का विवरण, जो संचित हानि में है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	रा सा क्षे उ के नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमे लेखे पूर्ण किये गए	अंतिम खातों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	अंतिम खातों के अनुसार ऋण	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि
अ	**सरकारी कम्पनियां**								
1	उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2022-23	2023-24	1529.91	1243.02	-1223.64	-2515.14	-3758.16	-5288.07
2	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	2022-23	6.00	131.14	-16.59	-304.51	-435.65	-441.65
3	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	2022-23	17.99	119.32	20.26	-157.09	-276.41	-294.40
4	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि॰	2022-23	2023-24	0.10	0.00	-0.06	-3.06	-3.06	-3.16
5	उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि॰	2020-21	2021-22	4.08	10.00	2.57	-10.76	-20.76	-24.84
6	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2016-17	13.42	0.43	-1.51	13.18	12.75	-0.67
	सरकारी कम्पनियों का योग (अ)			***1571.50***	***1503.91***	***-1218.97***	***-2977.38***	***-4481.29***	***-6052.79***
ब	**सांविधिक निगम**								
7	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2019-20	2023-24	238.60	30.54	-3.87	-262.58	-293.12	-531.72
8	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	2022-23	0.00	75.47	-19.30	-232.09	-307.56	-307.56
	सांविधिक निगम का योग (ब)			***238.60***	***106.01***	***-23.17***	***-494.67***	***-600.68***	***-839.28***
	कुल योग (अ+ब)			***1810.10***	***1609.92***	***-1242.14***	***-3472.05***	***-5081.97***	***-6892.07***

परिशिष्ट-5.5

(संदर्भित: प्रस्तर-5.11.2, पृष्ठ 179)

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के बकाया लेखों से सम्बन्धित सूचना

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	वर्ष जिसके लिए खाते बकाया हैं	बकाया खातों की संख्या	कम्पनी की स्थिति
1	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
2	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
3	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
4	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
5	ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2021-22 से 2022-23	02	कार्यरत
6	उत्तराखण्ड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
7	उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि॰	2022-23	01	कार्यरत
8	स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	05	कार्यरत
9	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2017-18 से 2022-23	06	कार्यरत
10	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2006-07 से 2022-23	17	कार्यरत
11	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2012-13 से 2022-23	11	कार्यरत
12	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	2009-10 से 2022-23	14	कार्यरत
13	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
14	इको-टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2017-18 से 2022-23	6	कार्यरत
15	एन॰आई॰सी॰डी॰सी॰ उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
	योग		***71***	
16	कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कु म वि नि लिमिटेड की सहायक)	1987-88 से 2022-23	36	निष्क्रिय
17	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कु॰म॰वि॰नि॰ लिमिटेड की सहायक)	2000-01 से 2002-23	23	निष्क्रिय
	योग		***59***	
	परिसमापन के अधीन- निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम			
18	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-15 से 2022-23	09	

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	वर्ष जिसके लिए खाते बकाया हैं	बकाया खातों की संख्या	कम्पनी की स्थिति
19	कुम्ट्रॉन लिमिटेड (हिल्ट्रॉन की सहायक)	1990-91 से 2022-23	33	
20	उत्तर प्रदेश हिल फ़ोन लिमिटेड (हिल्ट्रॉन की सहायक)	1987-88 से 2022-23	36	
21	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टर्ज़ लिमिटेड (हिल्ट्रॉन की सहायक)	1989-90 से 2022-23	34	
22	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कु म वि नि लिमिटेड की सहायक)	1997-98 से 2022-23	26	
23	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (ग॰म॰वि॰नि॰ लिमिटेड की सहायक)	2009-10 से 2022-23	14	
24	यू पी ए आई	सूचना उपलब्ध नहीं		
	योग		***152***	

परिशिष्ट-5.6

(संदर्भित: प्रस्तर-5.13.2, पृष्ठ 182)

सरकारी कम्पनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणियाँ
1	यू जे वी एन लिमिटेड (2022-23)	• कम्पनी ने 30 मार्च 2023 को निर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश के अनुपालन में यू पी सी एल और एचपीसीएल को देय ₹ 29.51 करोड़ की राशि का प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.51 करोड़ से अन्य चालू दायित्वों और परिचालन एवं प्रत्यक्ष खर्चों को कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए लाभ उसी सीमा तक अधिक था।
2	यू पी सी एल (2022-23)	• नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 2014-15 से 2022-23 की अवधि के लिए प्रस्तुत किये गए ₹ 12.54 करोड़ के पूरक बिलों का लेखांकन न करने के परिणामस्वरूप बिजली की खरीद लागत और वर्तमान दायित्वों प्रत्येक को ₹ 12.54 करोड़ से कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि भी उसी सीमा तक कम थी। • कम्पनी द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा निर्गत कार्य निष्पादन के मानक विनियम, 2007 का अनुपालन न किए जाने के कारण उपभोक्ताओं को देय क्षतिपूर्ति ₹ 15.21 करोड़ का प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.21 करोड़ से वर्तमान दायित्वों और अन्य प्रशासनिक खर्चों में से प्रत्येक को कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि भी उसी सीमा तक कम थी।
3	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (2021-22)	• कम्पनी ने नकद ऋण सीमा पर उत्तराखण्ड सरकार को देय गारंटी शुल्क की राशि के रूप में ₹ 0.86 करोड़ का प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.86 करोड़ से 'अल्पावधि प्रावधानों' के साथ-साथ वर्ष के लिए 'हानि' को कम दर्शाया गया।
4	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (2021-22)	• कम्पनी ने नकद ऋण सीमा पर उत्तराखण्ड सरकार को देय गारंटी शुल्क की राशि के रूप में ₹ 0.33 करोड़ कम प्रावधान किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 0.33 करोड़ से 'अल्पावधि प्रावधानों' के साथ-साथ वर्ष के लिए 'हानि' को कम दर्शाया गया।

परिशिष्ट-5.7

(संदर्भित: प्रस्तर-5.13.2, पृष्ठ 182)

सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणियाँ
1.	यू जे वी एन लिमिटेड (2022-23)	• कम्पनी ने व्यासी परियोजना के शेष कार्यों हेतु ठेकेदारों को देय ₹ 16.05 करोड़ का लेखांकन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.05 करोड़ से अन्य चालू दायित्वों के साथ-साथ सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण को कम दर्शाया गया।
2	यू पी सी एल (2022-23)	• ₹ 1.27 करोड़ की स्क्रैप/क्षतिग्रस्त सामग्री पूँजी भण्डार में सम्मिलित थी। इस भण्डार के मूल्य में कमी का प्रावधान खातों में नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.27 करोड़ से पूँजी भण्डार को अधिक और इन्वेंटरी के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि को भी उसी सीमा तक कम दर्शाया गया।
3	पिटकुल (2022-23)	• बरम 220 केवी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन की लागत में ₹ 84.11 करोड़ की सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण में सम्मिलित था, जो 31 मार्च 2023 तक चालू नहीं किया गया था, जो कम्पनी की महत्वपूर्ण लेखा नीति के विरूद्ध था। इसे पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त ₹ 2.29 करोड़ का ह्रास भी भारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 81.82 करोड़ से सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण, ₹ 2.29 करोड़ से ह्रास को अधिक और ₹ 84.11 करोड़ से पूंजीगत कार्य-प्रगति पर कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए लाभ को भी ₹ 2.29 करोड़ से कम दर्शाया गया। • 31 मार्च 2023 से पहले निष्पादित चार परियोजनाओं के कार्यों से संबंधित ₹ 36.52 करोड़ के मूल्य परिवर्तन बिलों का लेखांकन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 36.52 करोड़ से प्रावधान, ₹ 27.90 करोड़ से पूंजीगत कार्य प्रगति, ₹ 8.18 करोड़ से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और ₹ 44.00 लाख से ह्रास को कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, ₹ 44.00 लाख से वर्ष के लिए लाभ को भी अधिक दर्शाया गया।
4	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2021-22)	• कम्पनी ने दून एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र (डी आई सी सी सी) परियोजना से सम्बन्धित ₹ 8.56 करोड़ के व्यय का लेखांकन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 8.56 करोड़ से प्रगति में पूंजीगत कार्य और अन्य दीर्घकालिक दायित्वों (अप्रयुक्त अनुदान) में प्रत्येक को कम दर्शाया गया। • स्मार्ट स्कूलों और कलेक्ट्रेट कार्यालय के डिजिटलीकरण के पूर्ण कार्यों के लिए उपयोग किए गए अनुदान को अप्रयुक्त अनुदान के रूप में दर्शाने के परिणामस्वरूप ₹ 3.83 करोड़ से 'अन्य दीर्घकालिक दायित्वों, (अप्रयुक्त अनुदान) के साथ-साथ पूंजीगत कार्य प्रगति पर प्रत्येक को अधिक दर्शाया गया।

परिशिष्ट-5.8

(संदर्भित: प्रस्तर-5.13.3, पृष्ठ 182)

वैधानिक निगमों की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

उत्तराखण्ड परिवहन निगम (2019-20)

- निगम ने चालकों और परिचालकों के वेतन और मजदूरी, प्रोत्साहन आदि की राशि ₹ 8.05 करोड़ का लाभ और हानि खाते में लेखांकन करने के बजाय यात्री सुविधा निधि में लेखांकन किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 8.05 करोड़ से यात्री सुविधा निधि और प्रचालन व्यय में प्रत्येक को कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि को भी ₹ 8.05 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया।
- निगम के नकद शेष में जब्त की गई बैंक गारंटी (₹ 1.00 करोड़), ऑटो स्वीप बैंक खाते (₹ 0.97 करोड़) और स्रोत पर कर कटौती (₹ 0.40 करोड़) ₹ 2.37 करोड़ राशि सम्मिलित नहीं है, जिसको सम्बन्धित खाते में लेखांकन करने के बजाय शेष एफ डी से गलत तरीके से घटाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 2.37 करोड़ से कोषागारों में नकदी (एफडी), ₹ 1.00 करोड़ से अन्य आय, ₹ 0.40 करोड़ से चालू दायित्वों को कम और ₹ 0.97 करोड़ से बैंक में नकद को अधिक दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि को भी ₹ 1.00 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
- पर्वतीय क्षेत्रों में बसों के परिचालन के कारण हानि के लिए ₹ 77.94 करोड़ के सब्सिडी दावे की शेष राशि जो सरकार से प्राप्त होनी थी का लेखांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 77.94 करोड़ से विविध देनदारों (सरकारी विभाग) और आय प्रत्येक को कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि को भी उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया।
- विशेष श्रेणी के यात्रियों को प्रदान की गई रियायत के विरुद्ध प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त होने वाले ₹ 4.78 करोड़ रुपए के दावे को गलत तरीके से खातों में आय के बजाय चालू देयता के रूप में लेखांकन किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 4.78 करोड़ से चालू दायित्वों को अधिक तथा अन्य आय को कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि भी उसी सीमा तक अधिक थी।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (2020-21)

- वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए खनन विभाग को देय ₹ 14.87 करोड़ (₹ 3.60 करोड़ की ब्याज सहित राशि) के अनिवार्य किराये को सम्मिलित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 14.87 करोड़ से देय खर्चों को कम तथा लाभ को अधिक दर्शाया गया।

- चालू निर्माण कार्य में ₹ 7.00 करोड़ की राशि का चहारदीवारी का पूर्ण हो चुका कार्य सम्मिलित है। इसका पूंजीकरण और मूल्यह्रास किया जाना चाहिए था. इन्हीं कार्यों के लिए, 31 मार्च 2021 तक भुगतान के लिए ₹ 0.59 करोड़ के बीजक भी देय थे, जिनका लेखांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 7.59 करोड़ से भवन को कम तथा ₹ 7.00 करोड़ से प्रगति पर कार्य को अधिक और ₹ 0.59 करोड़ से चालू दायित्वों को कम दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त, उक्त भवन पर ह्रास का प्रभार न लिए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.10 करोड़ से भवन के साथ-साथ लाभ को अधिक दर्शाया गया।
- निगम ने काफी समय पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से सामग्री की कमी के विरुद्ध वसूली हेतु ₹ 1.99 करोड़ का प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.99 करोड़ से सामग्री की कमी-जांचाधीन के साथ-साथ लाभ को अधिक और प्रावधान को कम दर्शाया गया।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (2021-22)

- निगम ने वर्ष 2002-03 से 2008-09 की अवधि के दौरान उत्तराखण्ड सरकार से लिए गए ऋण पर देय ₹ 50.42 करोड़ के ब्याज का प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 50.42 करोड़ से चालू दायित्वों और ब्याज व्यय प्रत्येक को कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि को भी उसी सीमा तक कम दर्शाया गया।
- वर्ष 2021-22 के दौरान निष्पादित कार्यों के लिए ठेकेदारों को देय ₹ 42.04 करोड़ के चालू बीजकों का लेखांकन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 42.04 करोड़ से चालू दायित्वों और प्रावधानों के साथ-साथ कार्य प्रगति पर प्रत्येक को कम दर्शाया गया।
- निगम ₹ 129.55 करोड़ की राशि के पूर्ण किए गए कार्यों को समायोजित करने में विफल रहा, जो विभिन्न एजेंसियों/विभागों को सौंप दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 129.55 करोड़ से प्रगति पर कार्य के साथ-साथ सरकार द्वारा अनुदान प्रत्येक को अधिक दर्शाया गया।

परिशिष्ट-6.1

शब्दावली

क्र. सं.	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के क्रियान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या चालू कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत चर में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय चर की तन्यता अथवा प्रभावशीलता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि स रा घ उ में एक *प्रतिशत* तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशतता बिन्दु तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (रा ल ब) को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी वस्तुएँ है जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था को लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सड़कें इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों को पोषण में सहायक मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर खाद्य सामग्री का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रूग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।
6.	विकासपरक व्यय	व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण, विकासपरक और अविकासपरक व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती है जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।

क्र. सं.	शब्द	व्याख्या
7.	ऋण वहन क्षमता	ऋण वहन क्षमता को किसी समयावधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे ऋण के शोधन की क्षमता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।
8.	ऋण स्थिरीकरण	स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए बशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्तें बताती है कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात गिरेगा।
9.	ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता है, यदि बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकते।
10.	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित अनुपात है तथा यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण विमोचन के लिए किया गया। ऋण निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाते हुए।
11.	ऋणेत्तर प्राप्तियाँ	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।
12.	निवल ऋण की उपलब्धता	लोक ऋण पुनर्भुगतान, ऋण एवं अग्रिम का संवितरण तथा लोक ऋण पर ब्याज अदायगी के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्तियां तथा ऋण एवं अग्रिम प्राप्तियों का आधिक्य।